



# कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in Phone & Fax No. 0651-2481813



## कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो0ब0-10/2014-24 दिनांक 19/6/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं0सं0-4/ यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति गठित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त 2500 पौधे का वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण की यह 10 वर्षीय योजना वन संरक्षण अधिनियम के अनुपालन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए लागू होंगी। यह कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होगी एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

## 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

### योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : 237.38

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	712.14	0.00	712.14	
2	झाड़ी सफाई						
2.1	झाड़ी रहित	हे०	0	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1661.66		1661.66	
2.3	घनी झाड़ी	हे०	10	2373.80		2373.80	
3	घेरान कार्य						


3.1	ट्रेंच घेरान - ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	25	5934.50		5934.50	प्रति हे० अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर )	चेन	2	474.76	1963.79	2438.55	
3.3	पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी० उँचाई 1.00 मी०	चेन	25	5934.50		5934.50	
3.4	झाड़ी घेरान	चेन	6	1424.28	25.00	1449.28	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 2500 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	55	13055.90	0.00	13055.90	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	10	2373.80		2373.80	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	25	5934.50		5934.50	20 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर ट्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत अतिरिक्त रुट के साथ)
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	6000.00	6000.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)	हे०					
	<b>योग -</b>		<b>168</b>	<b>39879.84</b>	<b>8138.79</b>	<b>48018.63</b>	
<b>ख</b> <b>समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>							
1	अंश पौधशाला कार्य	हे०	32.5	7714.85	0.00	7714.85	

	रात्री प्रहरी सहित						
2	वृक्षारोपण	हे०	55	13055.90		13055.90	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	62.5	14836.25	0.00	14836.25	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2	474.76	0.00	474.76	प्रति हे० औसत 5 चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हे० तक	स्थल	275.00	65279.50		65279.50	
5.2	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	550.00	130559.00		130559.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	150.00	150.00	
	<b>योग -</b>		<b>977</b>	<b>231920.26</b>	<b>4087.50</b>	<b>236007.76</b>	
<b>ग</b>	<b>सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35	8308.30	0.00	8308.30	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा						
4	30 हे० तक	स्थल	365.00	86643.70		86643.70	
5	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	730.00	173287.40		173287.40	
6	घेरान मरम्मत	चेन	1	237.38	0.00	237.38	
7	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	5	1186.90	440.00	1626.90	
	<b>योग -</b>		<b>1136</b>	<b>269663.68</b>	<b>2402.50</b>	<b>272066.18</b>	
<b>घ</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)</b>						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35	8308.30	0.00	8308.30	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा						
3.1	30 हे० तक	स्थल	365.00	86643.70	0.00	86643.70	
3.2	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	730.00	173287.40	0.00	173287.40	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	5	1186.90	176.00	1362.90	
			<b>1135</b>	<b>269426.30</b>	<b>2138.50</b>	<b>271564.80</b>	
<b>च</b>	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)</b>						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35	8308.30	0.00	8308.30	

2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0	0.00	750.00	750.00	
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365	86643.70		86643.70	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1	237.38		237.38	
	योग -		401	95189.38	750.00	95939.38	
छ	सम्पोषण कार्य (छठा वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365	86643.70		86643.70	
ज	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365	86643.70		86643.70	
झ	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365	86643.70		86643.70	
ट	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365	86643.70		86643.70	
ड	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365	86643.70		86643.70	
	सकल योग -		5642	1339297.96	17517.29	1356815.25	

नोट


- (1) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
 झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0ब0-10/2014- 782 दिनांक- 19.06.2018

**प्रतिलिपि :**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी वन संरक्षक
8. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
9. उप सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड
10. इन्चिस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, झोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in Phone & Fax No. 0651-2481813



**कार्यालय आदेश**

**संख्या-01/यो0ब0-10/2014- 22 दिनांक 19/6/18**

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं0सं0-4/ यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति गठित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना की यह 10 वर्षीय योजना वन संरक्षण अधिनियम के अनुपालन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए लागू होंगी। यह कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगी एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

**10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर**

**योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना**

**पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे**

**मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 237.38**

**स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)**

क्र	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
क	<b>अंतिम कार्य (प्रथम वर्ष)</b>						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	712.14	0.00	712.14	
2	झाड़ी सफाई						
2.1	झाड़ी रहित	हे0	0	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हे0	7	1661.66		1661.66	
2.3	घनी झाड़ी	हे0	10	2373.80		2373.80	
2.4	कटबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे0	10	2373.80		2373.80	

3	घेरान कार्य						
3.1	ट्रेंच घेरान – ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	25	5934.50		5934.50	प्रति हे० अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर )	चेन	2	474.76	1963.79	2438.55	
3.3	पत्थर घेरान– ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी० उँचाई 1.00 मी०	चेन	25	5934.50		5934.50	
3.4	झाड़ी घेरान	चेन	6	1424.28	25.00	1449.28	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 1000 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	22	5222.36	0.00	5222.36	
5	मृदा एवं जल संरक्षण–गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	45	10682.10		10682.10	
6	अश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	10	2373.80		2373.80	20 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर ट्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत अतिरिक्त रुट के साथ)
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	2400.00	2400.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						
	योग–		165	39167.70	4538.79	43706.49	

ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	13	3085.94	0.00	3085.94	
2	वृक्षारोपण	हे०	22	5222.36		5222.36	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	25	5934.50	0.00	5934.50	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2	474.76	0.00	474.76	प्रति हे० औसत 5 चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हे० तक	स्थल	275.00	65279.50		65279.50	
5.2	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	550.00	130559.00		130559.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग—		887.00	210556.06	1725.00	212281.06	
ग	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14	3323.32	0.00	3323.32	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा						
3 (क)	30 हे० तक	स्थल	365.00	86643.70		86643.70	
3 (ख)	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	730.00	173287.40		173287.40	
5	घेरान मरम्मति	चेन	1	237.38	0.00	237.38	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2	474.76	176.00	650.76	
	योग—		1112	263966.56	961.00	264927.56	
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14	3323.32	0.00	3323.32	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा						
3.1	30 हे० तक	स्थल	365.00	86643.70		86643.70	
3.2	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	730.00	173287.40		173287.40	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2	474.76	176.00	650.76	
	योग—		1111	263729.18	961.00	264690.18	

व	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष )						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0	14	3323.32	0.00	3323.32	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0	0.00	300.00	300.00	
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70		86643.70	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1	237.38		237.38	
	योग--		380	90204.40	300.00	90504.40	
छ	सम्पोषण कार्य (छठा वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70		86643.70	
ज	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70		86643.70	
झ	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70		86643.70	
ट	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70		86643.70	
ठ	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70		86643.70	
	सकल योग -		5480.00	1300842.40	8485.79	1309328.19	

नोट

- (1) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0ब0-10/2014- 780 दिनांक- 19.06.2018

**प्रतिलिपि :**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी वन संरक्षक
8. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
9. उप सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची



# कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in Phone & Fax No. 0651-2481813



## कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो0ब0-10/2014- 23 दिनांक 19/6/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं0सं0-4/ यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति गठित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना की यह 10 वर्षीय योजना वन संरक्षण अधिनियम के अनुपालन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए लागू होंगी। यह कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगी एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

## 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

मजदूरी प्रति मानव दिवस 237.38  
(रु0) :-

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
क	अंतिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3.00	712.14	0.00	712.14	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	झाड़ी रहित	हे0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हे0	7.00	1661.66	0.00	1661.66	
2.3	घनी झाड़ी	हे0	10.00	2373.80	0.00	2373.80	
3	घेरान कार्य -						


3.1	ट्रेंच घेरान – ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	प्रति चेन	25	5934.50	0.00	5934.50	प्रति हे० अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर )		2	474.76	1963.79	2438.55	
3.3	पत्थर घेरान –ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी., नीचे की चौड़ाई 1.25 मी., उँचाई 1.00 मी.		25	5934.50	0.00	5934.50	
3.4	झाड़ी घेरान–	चेन	6.00	1424.28	25.00	1449.28	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	8664.37	0.00	8664.37	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	3916.77	0.00	3916.77	20 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर ट्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत अतिरिक्त रुट के साथ)
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	3989.00	3989.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंदूर ट्रेंचिंग– 90, कंदूर ट्रेंच साईज 5 मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे०	55.00	13055.90	0.00	13055.90	
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टेरिण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	5934.50	0.00	5934.50	
9	गली प्लगिंग	हे०	10.00	2373.80	0.00	2373.80	

10	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
11	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)						
	योग—		221.00	52460.98	6127.79	58588.77	
ख.	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	21.50	5103.67	0.00	5103.67	
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	8664.37	0.00	8664.37	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	41.50	9851.27	0.00	9851.27	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2.00	474.76	0.00	474.76	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	275.00	65279.50	0.00	65279.50	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)	स्थल	550.00	130559.00	0.00	130559.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग—		926.50	219932.57	2515.00	222447.57	
ग.	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	5459.74	0.00	5459.74	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	365.00	86643.70	0.00	86643.70	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)	स्थल	730.00	173287.40	0.00	173287.40	
4	गड़ढा घेरान की मरम्मत	चेन	1.00	237.38	0.00	237.38	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	712.14	290.00	1002.14	
	योग—		1122.00	266340.36	2182.40	268522.76	
घ.	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	5459.74	0.00	5459.74	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	365.00	86643.70	0.00	86643.70	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)	स्थल	730.00	173287.40	0.00	173287.40	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	712.14	290.00	1002.14	
	योग—		1121.00	266102.98	1590.00	267692.98	

क्र	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0	23.00	5459.74	0.00	5459.74	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70	0.00	86643.70	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1.00	237.38	0.00	237.38	
	योग-		389.00	92340.82	500.00	92840.82	
क्र	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70	0.00	86643.70	
क्र	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70	0.00	86643.70	
क्र	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70	0.00	86643.70	
क्र	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70	0.00	86643.70	
क्र	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	86643.70	0.00	86643.70	
	सकल योग-		5604.50	1330396.21	12915.19	1343311.40	

नोट

- (1) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
 झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0ब0-10/2014- 781 दिनांक- 19.06.2018

**प्रतिलिपि :**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्वद, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी वन संरक्षक
8. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
9. उप सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड
10. इन्चिस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची